न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 06/2018

वादी बनाम प्रतिवादी

1. दुर्गाराम पुत्र गोकलराम
जाति–मेघवाल,निवासी–बलूपुरा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. धर्माराम पुत्र घेवरराम
2. ओमप्रकाश पुत्र घेवरराम
3. जस्साराम पुत्र घेवरराम
जाति–मेघवाल,निवासी–बलूपुरा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
4. तहसीलदार जैतारण,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/01/2018

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 15/01/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–बलूपूरा, पटवार हल्का–राबड़ियावस, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 81/3 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। पूर्व में खातेदार मदनलाल पुत्र प्रभूराम भांबी थे, मदनलाल से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता घेवरराम पुत्र प्रभूराम ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के भूमि खरीद की थी व राजस्व रेकर्ड में भूमि घेवरराम के नाम से दर्ज हुई थी। तदुपरान्त इस भूमि में से क्रमषः सरजूदेवी व डूंगरराम को 1/5 वां हिस्सा की भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के घेवरराम ने बेचान कर दी। इसी के आधार पर उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। नकल चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। भूमि के खातेदार घेवरराम पुत्र प्रभूराम जी ने अपनी कब्जासुदा व हकसुदा एवं खरीदसुदा उक्त खसरा नम्बर 81/3 रकबा 10–00 बीघा में से 2 बीघा भूमि यानि 1/5वें हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 11/06/2015 को वादी को बेचान कर दी एवं मौके पर कब्जा भी वादी को सौंप दिया था। नकल पंजीबद्ध बेचान इस वादपत्र के साथ पेष है। तथा इस खरीदसुदा भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि वादी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद करने के बाद मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। व माफिक बेचान विलेख के नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने हेतु बेचाननामा की प्रति हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत को दे दी थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने माफिक बेचाननामा के वादी के नाम से नामान्तरणकरण की कार्यवाही नहीं की एवं भूमि घेवरराम के नाम से ही रही थी। तदुपरान्त घेवरराम का देहान्त हो गया। जिस पर हल्का पटवारी, राबड़ियावास

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने उक्त भूमि जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 704 के जरिये प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज कर दी। जबकि विवादित 1/5 वें हिस्से की भूमि पूर्व में ही वादी द्वारा खरीदी जा चुकी है। एवं माफिक पंजीबद्ध बेचान विलेख के वादी अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोशणा करवाकर राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। एवं मौके पर भी वादी का खरीदसुदा भूमि पर कब्जा काश्त व हक अधिकार है। वादी ने दिनांक 29/12/2017 को राजस्व रेकर्ड की प्रति प्राप्त की तब वादी को जानकारी हुई कि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से माफिक बेचान के राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु कथन किया लेकिन प्रतिवादीगण इन्कार हो गये । तब इन परिस्थितियों में वादी के पास यह वादपत्र पेष करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष्ज्ञ नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत घोशणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेष है। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवष्यक है। वादी का वादपत्र भी आवष्यक प्रकृति का हैं इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 29/12/2017 को वादी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती कराने से इन्कार करने पर बमुकाम–बलूपूरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया कि मैं वादी दुर्गाराम एवं प्रतिवादीगण धर्माराम, ओमप्रकाश, जस्साराम इस आशय का कर देते हैं कि राजस्व मौजा–बलूपुरा, पटवार हल्का–राबड़ियावास में वाके आराजी खसरा नम्बर 81/3 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से हम प्रतिवादीगण के पिता ने 1/5वें हिस्से की 2–00 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के वादी दुर्गाराम को बेचान की थी एवं मौके पर कब्जा भी सौंप दिया था। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने माफिक बेचान विलेख के अनुसार दुर्गाराम के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करने की वजह से उक्त कोरी भूमि जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 704 के जरिये हम प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई हैं। इस भूमि में से 2–00 बीघा यानि 1/5वां हिस्से की भूमि वादी दुर्गाराम के नाम माफिक घोषणा के अनुतोष के दर्ज की जावें, तो उसमें हम प्रतिवादीगण सहमत हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया हैं कि माफिक राजीनामा के इस वाद पत्र में वर्णित भूमि में से 1/5वें हिस्से की 2–00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खसरा नम्बर 81/3 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादी दुर्गाराम 1/5वां हिस्सा जरिए विक्रय विलेख खरीद किया हैं। लिहाजा वादी को 1/5

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वें हक हिस्से की भूमि का माफिक पंजीबद्ध बेचान विलेख अनुसार वादी को वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करने की घोषणा करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–बलूपूरा, पटवार हल्का–राबड़ियावस, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 81/3 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादी को 2–00 बीघा यानि कि 1/5वें हक हिस्से की भूमि का माफिक पंजीबद्ध बेचान विलेख अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner